अज न्यायालय **:** अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या **1,** बालोतरा
जिला बालोतरा।

पीठासीन अधिकारी	**:**	डॉ**.** रामचन्द्र चौहान**,** आर**.** जे**.** एस**.** **(UID No. RJ00979)**
निर्णय दिनांक	**:**	**16.03.2026**
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	**:**	**1186/2025**
सी**.**आई**.**एस**.** नंबर	**:**	**1186/2025**
सी**.**एन**.**आर**.** नंबर	**:**	**RJBA02-002365-2025**
अंतर्गत धारा	**:**	**332(C), 126(2), 115(2), 324(2)(6)/3(5)** भारतीय न्याय संहिता
पुलिस थाना	**:**	जसोल।

अभियोगी **:-**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, बालोतरा।

उपस्थित **:-** अभियोजन अधिकारी ।

बनाम

अभियुक्तगण **:-**

1. बलवंतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, निवासी वार्ड नंबर 2, जसोल, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा।
2. नरपतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, निवासी वार्ड नंबर 2, जसोल, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा।
3. गणपतसिंह पुत्र मोहनसिंह, निवासी वार्ड नंबर 2, जसोल, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा।

उपस्थित **:-** श्री प्रेमसिंह, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण।

-: <u>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण</u> **:-**

अपराध की तिथि	16.08.2024
परिवाद पेश करने की तिथि	04.09.2024
आरोपपत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	12.11.2025
आरोप सुनाने की तिथि	12.11.2025
साक्ष्य आरंभ किये जाने की तिथि	21.01.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की तिथि	13.03.2026
निर्णय की तिथि	16.03.2026

दण्ड दिये जाने की तिथि **(**यदि हो तो**)**	----------

-: अभियुक्त का विवरण **:-**

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 468 बी.एन.एस.एस. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
1.	बलवंतसिंह	----	----	332(C), 126(2), 115(2), 324(2) (6)/3(5) भारतीय न्याय संहिता	दोषमुक्त	-----	------
2.	नरपतसिंह	----	----		दोषमुक्त	-----	------
3.	गणपतसिंह	----	----				

-: अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाह की सूची **:-**

क. अभियोजन गवाह

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	श्री बरकत खां	परिवादी व मजरूब
पीडब्ल्यू 2	श्री रहमान खां	मजरूब
पीडब्ल्यू 3	श्रीमती खतीजा	चश्मदीद गवाह

ख. बचाव गवाह

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
------	---------	----------

ग. न्यायालय गवाह

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
------	---------	----------

-: अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श सूची **:-**

क. अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श पी. संख्या
1.	इस्तगासा	1
2.	फर्द नक्शा मौका	2
3.	राजीनामा	3
4.	पुलिस बयान बरकत खां	4
5.	पुलिस बयान रहमान खां	5
6.	पुलिस बयान श्रीमती खतीजा	6

ख. बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी. संख्या
------	---------	------

ग. न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श सी. संख्या
------	---------	------

निर्णय दिनांक - 16.03.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 04.09.2024 को परिवादी बरकत खां ने अभियुक्तगण के विरूद्ध एक इस्तगासा न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि दिनांक 16.08.2024 को दिन के करीब 2:30 – 3:00 बजे वह और उसके पिताजी उसके रहवासीय घर पर जसोल में ही थे। उस दौरान मुलजिमान हाथों में लाठियां, धारियां व पत्थर लेकर अनाधिकृत रूप से उसके मकान में प्रवेश कर उसके व उसके पिताजी रहमान खां के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। मारपीट से उनके शरीर पर चोटे आई। उक्त लोगों ने उसके घर में खड़ी मोटरसाईकिल नंबर आरजे 39 एसबी 1792 को लाठियों व पत्थरों से तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दी व घर का सामान भी तोड़ दिया। बीच बचाव करने आयी उसकी चाची हतिजा के साथ भी उक्त लोगों ने मारपीट की, कपड़ें खींचकर लज्जा भंग की व उसके पिताजी की कमीज की जेब में रखे 4000/- रुपये हड़पकर ले लिये। उसने घटना की सूचना पुलिस वालों को दी तब मौके पर जसोल पुलिस को आता देख उक्त लोग मौके से भाग गये। जाते वक्त उक्त लोगों ने एलानियां धमकी दी कि यह घर छोड़कर चले जाना, नहीं तो आयंदा मौका मिलने पर पूरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। दिनांक 18.08.2024 की शाम को उक्त लोग उसके घर के आगे आये और धमकी दी कि दिनांक 21.08.2024 तक सभी मोयलों ने घर खाली नहीं किये तो घरों में आग लगाकर सभी को जिन्दा जला देंगे आदि.....।

2. उक्त इस्तगासा मूल ही 175(3) बीएनएसएस के तहत जांच हेतु संबंधित पुलिस थाने पर प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में पुलिस थाना जसोल में प्रकरण संख्या 197/24 दर्ज किया जाकर अभियुक्तगण बलवंतसिंह, नरपतसिंह, गणपतसिंह के विरूद्ध न्यायालय में नतीजा आरोप पत्र अंतर्गत धारा 332(C), 126(2), 115(2), 324(2)(6)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत पेश हुआ, जिसपर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण बलवंतसिंह वगैरा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

3. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण बलवंतसिंह वगैरा को धारा 332(C), 126(2), 115(2), 324(2)(6)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने उक्त आरोप को सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. दौराने विचारण परिवादी मजरूबान बरकत खां, रहमान खां, खतीजा व अभियुक्तगण बलवंतसिंह, नरपतसिंह, गणपतसिंह द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 332(C), 126(2), 115(2), 324(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत राजीनामा पेश हुआ जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर अभियुक्तगण बलवंतसिंह वगैरा को अपराध अंतर्गत धारा 332(C), 126(2), 115(2), 324(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता में दोषमुक्त घोषित किया गया। अब अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 324(6) भारतीय न्याय संहिता का आरोप शेष रहा है।

5. शेष रहे आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहों को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया।

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठा फंसाये जाने के कथन किए हैं। साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा जिसपर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

7. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। बहस के प्रकाश में पत्रावली का उद्योपांत अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैं :–

(1) **"**क्या अभियुक्तगण ने दिनांक **16.08.2024** को वक्त **2:30 - 3:00** बजे के लगभग सरहद मौजा जसोल में लाठियां**,** धारिये**,** पत्थर लेकर मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् परिवादी के घर में खड़ी उसकी मोटरसाईकिल को तोड़कर रिष्टि कारित की **?"**

(4) यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

विचारणीय बिन्दु संख्या **1 :**

8. इस विचारणीय बिन्दु को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है, जिसको साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 3 गवाह परीक्षित हुए। उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में सर्वप्रथम गवाह परिवादी बरकत खां पीडब्ल्यू**-1** के रूप में परीक्षित हुआ जिसने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि दिनांक 16.08.2024 को दिन के करीब 2 से 3 बजे वह अपने परिवार सहित अपने रहवासीय घर जसोल पर था तभी बलवंतसिंह, नरपतसिंह, गणपतसिंह उसके घर पर आये और उसके व उसके पिताजी के साथ मारपीट की। मारपीट से उसके पिताजी के शरीर, हाथ व पैर पर चोट आई थी। मारपीट के अतिरिक्त बलवंतसिंह, गणपतसिंह, नरपतसिंह ने अन्य कोई घटना कारित नहीं की। उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में इस्तगासा दर्ज करवाया गया जो प्रदर्श पी 1 है। बलवंतसिंह द्वारा उसकी कोई मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त नहीं की गयी थी। अभियुक्तगण ने मारपीट के दौरान उसकी जेब में रखे पैसे नहीं छीने थे। पुलिस ने उसकी निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 मुर्तिब किया था। उसका मुलजिम से राजीनामा हो गया है जो राजीनामा प्रदर्श पी 3 है। वह मुलजिम से राजीनामा होने के कारण कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करना चाहता है। इस प्रकार परिवादी द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं करने पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवाया जाकर जिरह की गयी। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में इस सुझावात्मक प्रश्न को नकारा कि दिनांक 16.08.2024 को वक्त 2 बजे बलवंतसिंह, नरपतसिंह, गणपतसिंह अनाधिकृत रूप से उसके घर में घुस आये हो और उसके घर में खड़ी उसकी मोटरसाईकिल नंबर आरजे 39 एसबी 1792 को लाठी व पत्थरों से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया हो व घर में रखा सामान भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्शपी 4 का ए से बी भाग (अभियुक्त को अपराध से जोड़ने बाबत् तथ्य) पुलिस को नहीं लिखाया जाना बताया।

9. इसी प्रकार अभियोजन की ओर से गवाह रहमान खां पी.ड. 2 व श्रीमती खतीजा पी.ड. 3 के रूप में परीक्षित हुए जिन्होंने भी एकरूप से परिवादी के समरूप ही कथन किये हैं और अभियुक्तगण द्वारा परिवादी बलवंतसिंह की मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त नहीं करना बताया। इस प्रकार इन महत्वपूर्ण गवाहान द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी द्वारा इन्हें पक्षद्रोही घोषित करवाया गया जिन्होंने दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में इस सुझावात्मक प्रश्न को नकारा कि दिनांक 16.08.2024 को वक्त 2 बजे बलवंतसिंह, नरपतसिंह, गणपतसिंह अनाधिकृत रूप से उसके घर में घुस आये हो और उसके घर में खड़ी उसकी मोटरसाईकिल नंबर आरजे 39 एसबी 1792 को लाठी व पत्थरों से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया हो व घर में रखा सामान भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया हो। गवाहान ने अपने पुलिस बयान

क्रमशः प्रदर्शपी 5 व प्रदर्शपी 6 का ए से बी भाग (अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ने बाबत् तथ्य) उनके द्वारा नहीं लिखाया जाना बताया।

10. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचनानुसार परिवादी बरकत खां स्वयं पक्षद्रोही घोषित हुआ और अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हुए अभियुक्तगण द्वारा उसकी कोई मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त करने के तथ्य से इंकार किया। इसी प्रकार अभियोजन की और से परीक्षित गवाहान रहमान खां पी.ड. 2 व श्रीमती खतीजा पी.ड. 3 भी पक्षद्रोही घोषित हुये और अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया।

11. अत: अभियोजन पक्ष शेष रहे इस विचारणीय बिन्दु संख्या 1 कि "क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16.08.2024 को वक्त 2:30 - 3:00 बजे के लगभग सरहद मौजा जसोल में लाठियां, धारिये, पत्थर लेकर मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् परिवादी के घर में खड़ी उसकी मोटरसाईकिल को तोड़कर रिष्टि कारित की ?" को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा हैं। अत: अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(डॉ. रामचन्द्र चौहान)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1,
बालोतरा।

आदेश

12. अत: अभियुक्तगण **1.** बलवंतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, निवासी वार्ड नंबर 2, जसोल, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा, **2.** नरपतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, निवासी वार्ड नंबर 2, जसोल, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा, **3.** गणपतसिंह पुत्र मोहनसिंह, निवासी वार्ड नंबर 2, जसोल, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 332(C), 126(2), 115(2), 324(2)/3(5) में जरिये राजीनामा दिनांक 27.02.2026 को दोषमुक्त व शेष धारा 324(6) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के आरोप में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

साथ ही आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त धारा 481 बीएनएसएस के प्रावधान के तहत छ: माह की अवधि हेतु 10,000/- रूपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की संतोषप्रद जमानत पेश कर तस्दीक करावे।

(डॉ. रामचन्द्र चौहान)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1,
बालोतरा ।

13. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

SULOCHANA GAHLOT
Steno Gr. I
"Authenticated document"
Digitally signed by SULOCHANA GAHLOT
Location: Balotra
Date: 2026.03.19 11:37:05 +0530

(डॉ. रामचन्द्र चौहान)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1,
बालोतरा ।